



19/11/09

3123

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार - कृषि
(कृषि/आवसीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य)
2. वार्ड परगना डास-11
3. मौहल्ला/ग्राग - ग्राम नाथफल
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) खाता नं० 245 के खसरा नं० 205, 206, 210 व खाता नं० 93 के खसरा नं० 292,
5. मपन की इकाई (हेक्टेयर/वर्ग मीटर) हेक्टेयर

7773

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

विक्रय पत्र

11,107,115.00 / 11,107,115.00

10,000.00

100

10,100.00

5,000

फीस एन्ट्री

नकद व प्रति भुक्त

योग

रकम संपन्न

पतिफल

शक्तिधन

श्री

श्री 40 संपल चकड़ा द्वारा विप्रेक्षित

पुत्र श्री

टी एस बिष्ट

व्यवसाय व्यापार/अन्य/स्त्री

निवासी स्थान

33 कम्प्यूनिटी सेंटर दिल्ली

अवधि की

ने यह लेखन 5 महीने में

दिनांक

10/4/2013

वक़्त

6:38PM

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

वै. निबन्धन हेतु पेश किया।

उप निबन्धक, प्रथम

गाजियाबाद

10/4/2013

निष्पादन लेखन बाद सुनने व समझने भजन व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखनगत उक्त

विक्रेता

क्रेता

श्री नरेश सिंह

पुत्र श्री रघुवीर

पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री

निवासी नाथफल गाबाद

श्री 40 संपल चकड़ा द्वारा विप्रेक्षित

पुत्र श्री टी एस बिष्ट

पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री

निवासी 33 कम्प्यूनिटी सेंटर दिल्ली

ने निष्पादन एविकार किया।

जिपरी पत्रदान श्री

बहमप्रकार

पुत्र श्री सुरत

पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री

निवासी दुर्गाई गी वुड नगर

पुत्र श्री रवि

पुत्र श्री नरेश

पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री

निवासी नाथफल गाबाद

ने की।

प्रत्यक्ष गद मासिकों के निधान अंगुटे नियमानुसार लिए गये हैं

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक, प्रथम

गाजियाबाद

10/4/2013

(2)

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल 0.774167 हैक्टेयर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) 200 मीटर से अधिक
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड / कानन इत्यादि) N.A
9. सम्पत्ति का प्रकार भूमि कृषि
10. प्रतिफल की धनराशि 1,11,07,115/-रुपये
11. पेड़ कुँआ नलकूप व बोरिंग व आबादी नहीं है

Mathur

FOR OFFICIAL USE ONLY
11/11/15

विप्रेक्षा

Registration No.. 3123

Year : 2013

Bank No. 1

0101 नरेश सिंह

राष्ट्रपति

नामधारी गांधी

अपार/अन्य/रही

Narain Singh



(3)

प्रथम पक्ष की संख्या (1)

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण:-

1. नाम : नत्थू सिंह

पिता का नाम : श्री रघुवीर

स्थायी पता : ग्राम भायफल परगना डारना तहसील व जिला गाजियाबाद

बैंक एकाउन्ट नं० : 7118101100041

Handwritten signature

Handwritten signature

क्रेता

Registration No. : 3123

Year : 2013

Book No. : 1

0201 40 उपपल बठवा द्वारा विजेस प्रिन्ट
डी एस प्रिन्ट
33 कम्युनिटी सेंटर दिल्ली
व्यापार/अन्य/सूची



(4)

क्रेता का विवरण:-

1. नाम : मैसर्स उप्पल चढ्ढा हाई टेक डेवलपर्स प्रा० लि० द्वारा श्री
ब्रिजेश बिष्ट
पिता का नाम : श्री डी० एस० बिष्ट
स्थायी पता : 33, कम्युनिटी सेंटर न्यू फ्रेंड्स कालोनी नई दिल्ली
पहचान पत्र नं०: BQF1572676

प्रमाणित है

For BQF1572676

[Signature]



—

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 1,11,07,115.00 रुपये।

स्टाम्प पेपर - प्रश्नगत भूमि के क्रय हेतु किये जा रहे निबन्धन में कर एवं निबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या-क0नि0-5-893/ ग्यारह- 2010-500 (83)-2005 दिनांक 06 मई 2010 की व्यवस्था के अनुसार संबंधित विकासकर्ता कंपनी/कन्सर्शियम क्रेता स्टैम्प ड्यूटी से छूट के लिये पात्र है।

मैं कि नत्थू सिंह पुत्र श्री रघुवीर निवासी ग्राम नायफल परगना डारना तहसील व जिला गाजियाबाद (फरीक अव्वल/विक्रेता)।

एवम

मैसर्स उष्मल चट्टा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली द्वारा ब्रजेश बिष्ट पुत्र श्री डी. एस. बिष्ट, 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोथग/क्रेता)।

11-11-2010

11-11-2010

11-11-2010



विक्रीत भूमि का विवरण

(1) ग्राम नायफल परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद (उ०प्र०), में स्थित कृषि भूमि खाता नं० 245 के खसरा नं० 205 रकबा 0.3670 हैक्टे० व खसरा नंबर 206 रकबा 0.3040 हैक्टे० व खसरा नंबर 210 रकबा 0.0510 हैक्टे० कुल रकबा 0.7220 हैक्टे० का 1/12 भाग यानी 0.060167 हैक्टे० व खाता नंबर 93 के खसरा नंबर 292 रकबा 0.7140 हैक्टे० का पूर्ण भाग इस प्रकार कुल रकबा 0.774167 हैक्टे० के प्रथम पक्ष विक्रेता अनुसार खतौनी 1416-1421 फसली पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी, बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है, का बैनामा हाजा में विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 1,23,51,780/- रुपये प्रति हैक्टेयर है लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से रु० 1,43,47,200/- प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 1,11,07,115/- रुपये (एक करोड़ ग्यारह लाख सात हजार एक सौ पंद्रह रुपये मात्र) में तय है।

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आशय का अपना श्रीमान तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। विक्रीत भूमि ग्राम सभाज, मूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी, पहचान पत्र विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

Signature

Signature

12/11/2023



(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक हम फरीक अब्दल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, गार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कहीं अन्य जगह आड, रहन, बय, हिवै, मझयदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ऋयुज है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद-ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लगित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वयन ही लगित है।

(6) विक्रीत मिलिकयत उक्ता के विक्रय में कोई दोष व त्रुटि नहीं है हर प्रकार के बाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखित भूमि के संबंध में मुझे विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, बरीयतनामा व विक्रय अनुबंध-पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही करवाया है और न ही कहीं नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी बरीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अब्दल व उनके वारिसान होंगे।

(7) मुझे विक्रेता को विक्रय पत्र में वर्णित उक्ता खाता नं० 245 के खसरा नं० 205 रकबा 0.3670 हैक्टे० व खसरा नंबर 206 रकबा 0.3040 हैक्टे० व खसरा नंबर 210 रकबा 0.0510 हैक्टे० कुल रकबा 0.7220 हैक्टे० का 1/12 भाग यानी 0.060167 हैक्टे० व खाता नंबर 93 के खसरा नंबर 292 रकबा 0.7140 हैक्टे० का पूर्ण भाग इस प्रकार कुल रकबा 0.774167 हैक्टे० स्थित ग्राम नायफल परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद उसके हिस्से के पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। हम विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः मुझे

11/05/2020

Wajid Ali

For Official Use Only



1

2



विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व घमकाव के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली-खारिजी, कारत भराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार हग विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशी अंकन 1,11,07,115/- रुपये (एक करोड़ ग्यारह लाख सात हजार एक सौ पंद्रह रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन 55,53,557.50/- रुपये (पचपन लाख तिरपन हजार पांच सौ सत्तावन रुपये पचास पैसे मात्र) होते हैं के एवज में बहाथ फरीक दोगम क्रेता उपरोक्त गैसर्स उप्पल चढ्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33, कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डरा कालोनी नई दिल्ली द्वारा ब्रजेश बिष्ट, पुत्र श्री डी. एस. बिष्ट, 33, कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डरा कालोनी नई दिल्ली अधिकृत हरताक्षरी (फरीक दोगम/क्रेता)। अधिकृत हरताक्षरी द्वितीय पक्ष को बंध कर दिया है यानि कतई बेव दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी हम विक्रेता ने क्रेता से प्राप्ता कर ली है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नहीं रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैरायत मालकाना प्रयोग में लावे।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि के बादत समस्त कागजात में बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकमगजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वयं दर्ज करवा सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हरताक्षर हग फरीक अव्वल से करा सकते हैं, हम फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

(10) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।



Handwritten signatures and stamps, including a large circular stamp with the text 'GOVERNMENT OF INDIA' and 'MINISTRY OF PANCHAYATS'.



1

(11), विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा उसका कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी वशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पारा से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्ज खर्च प्रथम पक्ष विक्रेतागण व विक्रेता के वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिरा प्रकार वाहे वसूल करा सकते हैं जिस पर फरीक अव्वल विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझकर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 0.774167 हैक्टेयर, खाता नं० 245 के खसरा नंबर 205, 206, 210 व खाता नंबर 93 के खसरा नंबर 292 स्थित ग्राम नायफल परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:-

Handwritten signature

Handwritten signature

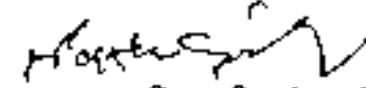
Handwritten signature

Handwritten signature





(15) यश बैंक लि0, ग्राउन्ड फ्लोर, जी-1,2,3, चिरंजीव टावर, 43 नहेरु प्लेस, नई दिल्ली-19 चेक नंबर अंकन 1,11,07,115/- रुपये (एक करोड़ ग्यारह लाख सात हजार एक सौ पंद्रह रुपये मात्र) दिनांकित फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर लिये गये है।


(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)


(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक दोयम (क्रेता)

गवाह नं0 1


गवाह नं0 1

गवाह नं0 2


गवाह नं0 2

तहरीर दिनांक मसौदा



आज दिनांक 10/04/2013 को

वही नं. 1 जिल्द सं. 10925

पृष्ठ नं. 71 से 84 पर क्रमांक 3123

रजिस्ट्रीकृत किया गया

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर



सप निबन्धक, प्रथम

प्रयागवाट

10/04/2013

25.08.2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

UP 068/73

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक स्थान में
श्री पुत्र/पति
निवासी ग्राम परगना तहसील
व जिला
प्रथम पक्ष

एवं

मै0 पंजीकृत
कार्यालय 33 कम्प्यूनिटी सेंटर, न्यू फ्रेडस कॉलोनी, नई दिल्ली द्वारा
पुत्र/पति

द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम परगना व तहसील
जिला में स्थित भूमि खाता सं0 खरास रां
..... कुल रकबा हैक्टर (अपने सम्पूर्ण भाग) का
संक्रमणीय भूमिधर मालिक, कबिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम
दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिस्सेदार नहीं
है। उक्त भूमि पर अविभाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या
कोई केस नहीं चल रहा है।

Wanlan Sun

25

1. नाम
2. पता करने का प्रयोग
3. पता का नाम य
4. पता का नाम य
5. पता का नाम य
6. पता का नाम य
7. पता का नाम य
8. पता का नाम य
9. पता का नाम य
10. पता का नाम य

UPPAL CHAGNI & TECH DEVELOPERS PVT. LTD.
NEW DELHI

राजेश कुमार स्टांप विक्रेता
लाइसेंस नम्बर 350
लाइसेंस की अवधि 31 मई
राजेश कुमार स्टांप विक्रेता

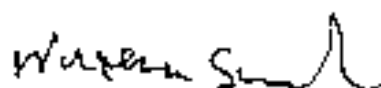


प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्जे सरकारी व गैर सरकारी आदि से پاک व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बही सं० के पुरतक सं० पृष्ठ पर क्रम सं० पर दर्ज है।

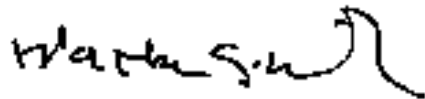
प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरूप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिस्से पर रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से रु०...../- द्वारा चेक नं. दिनांक बैंक द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन..... रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोष लाभ या पुनर्वासि हेतु आवंटित प्लॉट की एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि रु. प्रति वर्गमीटर के हिसाब से निर्धारित धनराशि..... दोनों पक्षों को मान्य है।
2. यह कि प्रथम पक्ष मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।



3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नहीं रहा समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये हैं।
4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के भूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नहीं होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष के होंगे। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु..... द्वारा चैक सं०..... दिनांक..... बैंक से प्राप्त कर लिये हैं।
5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरूप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या किसी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काम आवे।



प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह

1.

2.